दिल्ली विकास प्राधिकरण

(मुख्य योजना अनुभाग)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 12 मार्च 2025

एफ.सं. एफ.3(44)/2012–एमपी/ई–फाइल : पीएलजी/0013/2022/–एडी (पीएलजी–जोन जी) एपी–III जो दिल्ली विकास प्राधिकरण/केन्द्र सरकार दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 11–ए के तहत दिल्ली मुख्य योजना–2021/जोन 'जी' की क्षेत्रीय विकास योजना में निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव करती है, जिसे सार्वजनिक जानकारी के लिए एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है। प्रस्तावित संशोधन के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो/सुझाव देना हो तो, वह इस नोटिस के प्रकाशन की तिथि से तीस (30) दिनों की अवधि के भीतर ऑनलाइन पोर्टल citzservices.dda.org.in या ई–मेल **mpd2021.public@dda.org.in** के माध्यम से या लिखित रुप में आयुक्त एवं सचिव, डीडीए, 'बी' ब्लॉक, विकास सदन, नई दिल्ली–110023 को अपनी आपत्ति/सुझाव भेज सकता है। आपत्ति या सुझाव देने वाले व्यक्ति अपना नाम, पता और टेलीफोन/संपर्क नंबर/ई–मेल आईडी भी दें, जो पठनीय हो।

प्रस्तावित संशोधन :

अवस्थिति	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	दिल्ली मुख्य योजना–2021/जोन जी की क्षेत्रीय विकास योजना के अनुसार मौजूदा भूमि उपयोग	भूमि उपयोग परिवर्तित किया गया	सीमाएँ
1	2	3	4	5
जोन–जी में आने वाली रोहतक रोड, शकूरबस्ती में आरएलडीए की खाली पड़ी भूमि	4.63 हेक्टेयर	'परिवहन (सर्कुलेशन–रेल)'	'आवासीय'	**उत्तर** : शकूरबस्ती रेलवे स्टेशन **दक्षिण** : रोहतक रोड **पूर्व** : रेलवे की खाली पड़ी भूमि **पश्चिम** : रेलवे की खाली पड़ी भूमि

प्रस्तावित संशोधनों को दर्शाने वाला पाठ/प्लान निरीक्षण के लिए उप निदेशक, मास्टर प्लान अनुभाग, डीडीए, 6वीं मंजिल, विकास मीनार, आईपी एस्टेट, नई दिल्ली–110002 के कार्यालय में ऊपर उल्लिखित अवधि के भीतर सभी कार्य दिवसों में उपलब्ध रहेगा। प्रस्तावित संशोधनों को दर्शाने वाला पाठ/प्लान निम्नलिखित लिंक अर्थात् **https://dda.gov.in/mpd-2021-public-notices-2025** और **https://citzservices.dda.org.in** पर भी उपलब्ध है।

सुरेन्द्र कुमार मीणा, आयुक्त एवं सचिव

हमें फॉलो करें : @ddaofficial @official_dda @official_dda_

कृपया दि.वि.प्रा. की वेबसाइट **www.dda.gov.in** देखें या डायल करें टोल फ्री नं. 1800110332